

चार में एक भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं लेते समय जाति एवं धर्म आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है: ऑक्सफैम इंडिया

ऑक्सफैम इंडिया के सर्वे ने पाया की मरीजों के अधिकारों के कार्यान्वयन में कमी और वैक्सीन नीति में असमानता के वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है।

मंगलवार, 23 नवंबर, 2021: एक तिहाई मुस्लिम, 20% से अधिक दलित और आदिवासी, और 30% कुल उत्तरदाताओं ने धर्म, जाति और बीमारी या स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर स्वास्थ्यकर्मों द्वारा भेदभाव के बारे में ऑक्सफैम इंडिया के सर्वे में बताया।

ऑक्सफैम इंडिया ने स्वास्थ्य प्रणाली में मरीजों और नागरिकों की दुर्दशा पर एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए 'सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेंट्स इन इंडिया' (Securing Rights of Patients' in India) शीर्षक से सर्वेक्षण जारी किए। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किये मरीजों के अधिकार चार्टर (पीआरसी) का हनन और भारत के कोविड-१९ टीकाकरण अभियान नीति के असमानता को दर्शाया गया है। दोनों सर्वेक्षणों में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। पीआरसी सर्वेक्षण फ़रवरी और अप्रैल 2021 के बीच किया गया था और उसपे 3890 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जबकि टीका सर्वेक्षण अगस्त और सितंबर 2021 के बीच किया गया था जिसमें 10,955 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था।

भारत के मरीजों की दुर्दशा

ऑक्सफैम इंडिया के सर्वेक्षण के 58 फीसदी उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जब वे या उनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे, तो उन्हें इलाज/प्रक्रिया शुरू होने से पहले इलाज/प्रक्रिया की अनुमानित कीमत नहीं बताई गई थी। 31% उत्तरदाताओं ने अनुरोध करने के बाद भी अस्पताल द्वारा मामले के कागजात, रोगी के रिकॉर्ड, उपचार/प्रक्रिया के लिए जांच रिपोर्ट नहीं दिया गया।

19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि अस्पताल ने उनके निकट सम्बन्धियों का शव बिल न भरने पर परिवार को देने से मना किया। 35% महिलाओं ने ऑक्सफैम इंडिया को बताया कि कमरे में महिला ना होते हुए भी पुरुष स्वास्थ्य कर्मों द्वारा उनकी शारीरिक जांच की गई।

"ऑक्सफैम इंडिया के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत में रोगियों के बुनियादी अधिकारों से गरीब और मध्यम वर्ग को समान रूप से वंचित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों के बीच वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के संबंध में विषमता ही और इस वजह से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को और गहरा करती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मरीजों के अधिकार चार्टर को राज्य सरकारों

द्वारा तुरंत अपनाया जाना चाहिए, साथ ही नागरिकों को सहारा प्रदान करने के लिए मजबूत शिकायत निवारण नीति बनायीं जाएं, " **ऑक्सफैम इंडिया, सीईओ, अमिताभ बेहार।**

भारत के टीकाकरण अभियान की कहानी

"हमारी आबादी के केवल 27 प्रतिशत लोगों को अब तक दोनों ठीके लगाए गए हैं। ऑक्सफैम इंडिया सर्वेक्षण में, 55% व्यक्तियों का मानना है कि भारत के सबसे अमीर 1000 परिवारों पर 1% का टैक्स लगाके से पूरे टीकाकरण कार्यक्रम के लिए लगने वाले INR 500 बिलियन (6.8 बिलियन डॉलर) जुटाएं जाए। गरीब और मध्यम वर्ग पे जीएसटी (GST) और अन्य टैक्स से टीकाकरण अभियान का बोझ नहीं डालना चाहिए, " **अमिताभ बेहार ने कहा।**

टीकाकरण अभियान के दौरान भेदभाव नहीं करने के प्रधान मंत्री के घोषित इरादे के बावजूद, प्रति माह 10,000 रुपये से कम आय वाले 74% उत्तरदाताओं और हाशिए और अल्पसंख्यक समुदायों के 60% से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सरकार उन्हें यह बताने में विफल रही है कि टीकाकरण कैसे और कब किया जाए।

"यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत लोगों के आय या सामाजिक समूह द्वारा टीकाकरण के रिकॉर्ड नहीं रखता है जो टीकाकरण में पिछड़ने वाले समुदायों के लिए रणनीतियों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होता। दस में से लगभग एक व्यक्ति ने कहा कि उन्हें खुद को टीका लगवाने के लिए एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ी। भारत के अमीरों और गरीबों में से विभिन्न सामाजिक समूहों के टीकाकरण के आंकड़ों को जानके ही भारत के टीकाकरण अभियान की समानता के बारे में पता चलेगा," **अंजेला तनेजा, लीड, एडवोकेसी, ऑक्सफैम इंडिया |**

10 में से 8 उत्तरदाताओं को भी विश्वास नहीं था कि भारत दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण करने में सक्षम होगा। टीकाकरण करवाने में चुनौतियों के बारे में पूछने पर 9% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें खुद को टीका लगाने के लिए एक दिन का वेतन खोना होगा; 43% ने बताया कि जब वे केंद्र गए तो टीकाकरण केंद्रों में टीके खत्म हो गए थे।

"यह स्वास्थ्य प्रणाली में अमीर और गरीब, पुरुषों और महिलाओं, उच्च जाती और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अलग-अलग अनुभवों और चुनौतियों को प्रमाणित करना शुरू करने की ज़रूरत है। यह स्वास्थ्य प्रणाली को सभी लोगों की व्यक्तिगत ज़रूरतों और संदर्भों के लिए उत्तरदायी बना देगा। भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक विनियमन स्थापित करने की भी आवश्यकता है। भारत सरकार को तुरंत स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक अपने स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लंघन होने पे कानून का सहारा ले सके," **अमिताभ बेहार।**

संपादकों के लिए टिपणी:

सर्वेक्षण में, 30% लोगों ने कहा कि उनके साथ किसी बीमारी या स्वास्थ्य की स्थिति के कारण उनके साथ भेदभाव किया गया है, 12% लोगों ने महसूस किया कि उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है, 13% लोगों ने महसूस किया कि उनके

साथ जाति के वजह से भेदभाव किया गया है। एक तिहाई मुस्लिम लोगों ने कहा कि अस्पताल में या स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा उनके धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया है।

कृपया पूरी रिपोर्ट यहां डाउनलोड करें:

<https://www.oxfamindia.org/knowledgehub/oxfamiation/securing-rights-patients-india>

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: Abhirr VP (Manager, Oxfam India): +91 9739981606

ऑक्सफैम इंडिया के बारे में

ऑक्सफैम इंडिया एक न्यायसंगत और समान भारत बनाने के लिए काम कर रहे लोगों का एक आंदोलन है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, महिलाओं और लड़कियों को अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता, अपने अधिकारों को महसूस करने के समान अवसर और भेदभाव मुक्त भविष्य के साथ सुरक्षित हिंसा मुक्त जीवन मिले।